NO. 07/01/2014-3AR
GOVERNMENT OF HARYANA
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

Dated Chandigarh, the 16th June, 2026

Subject:- Appointment of Chief Commissioner in the Haryana Right to Service Commission.

The Governor of Haryana has constituted a body under the Haryana Right to Service Act, 2014, known as the Haryana Right to Service Commission to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under the Act. It is located in Chandigarh. There is provision for one Chief Commissioner and upto four Commissioners in the Commission. The powers and functions of the Chief Commissioner and Commissioners are as per section 14 of the Act. The Haryana Right to Service Act, 2014 is available on the website https://csharyana.gov.in.

It is proposed to appoint Chief Commissioner after retirement of the incumbent Sh. T.C. Gupta, IAS (Retd.) on 27.05.2026. The Act provides that the Chief Commissioner shall be a serving or retired officer in the rank and status of the Chief Secretary of the State of Haryana or Secretary to Government of India.

The Chief Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier and shall not be entitled for re-appointment. The salary and allowances payable to and other terms and conditions of service applicable to the Chief Commissioner shall be as per Section 15 and Sub-section 4 of Section 15 (Amendment), 28 June 2019.

The Government has constituted a Search Committee to search for and recommend suitable candidates to the Statutory Committee, constituted under section (1) of section 13 of the Haryana Right to Service Act, 2014 for appointment of Chief Commissioner in the Haryana Right to Service Commission.

It is made clear that while applying for the post of Chief Commissioner, the applicant must indicate:

1. Whether any criminal case have been registered against him/her?
   If yes, details thereof
2. Whether the applicant has been charge sheeted for any criminal offence?
   If yes, details thereof.
3. Whether the applicant has been convicted by any competent court for any criminal offence?
   If yes, details thereof.

Persons fulfilling the criteria for appointment as Chief Commissioner and interested for appointment to the post, may send their particulars in the proforma appended to these instructions to the office of Commissioner & Secretary to Government of Haryana, General Administration Department, Room No. 44B, 6th floor, Civil Secretariat, Haryana Sector-1, Chandigarh by 01st July 2026 (05:00 PM). Persons who are serving under the State/Central Government may send their particulars through proper channel.

Chief Secretary to Government, Haryana

Proforma for sending application for the post of Chief Commissioner in Haryana Right to Service Commission

Please affix the latest passport size photograph

1. Name
2. Date of Birth:
3. Present Address:

4. Contact No.
   a) Telephone (along with STD Code)
   b) Mobile
   c) Fax

5. E-mail Address:
6. Educational Qualifications:
7. Area of Eminence:
8. Present Occupation:
9. Whether any criminal case has been registered against you?
   If yes, details thereof.
10. Whether you have been charge-sheeted for any criminal offence?
    If yes, details thereof.
11. Whether you have been convicted by any competent court for any criminal offence?
    If yes, details thereof.
12. Achievements/Work Experience
    (in brief):

Date : Signature
Place:

क्रमांक 07/01/2014 –3ए०आर०
हरियाणा सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

दिनांक चण्डीगढ, 16 जून, 2026

विषयः– हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त की नियुक्ति बारे।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कार्यों को करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बॉडी का गठन किया है जो कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के नाम से जाना जाता है। यह चण्डीगढ़ में स्थित है। आयोग में एक मुख्य आयुक्त तथा अधिक्तम 4 आयुक्तों का प्रावधान है। मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों की शक्तियां तथा कार्य अधिनियम की धारा 14 के अनुसार होंगे।

वर्तमान मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता, आई.ए.एस. (सेवानिवृत) का कार्यकाल दिनांक 27.05.2026 को समाप्त होने उपरान्त मुख्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाता है। यह अधिनियम यह प्रावधान करता है कि, मुख्य आयुक्त हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव अथवा भारत सरकार के सचिव के रैंक व दर्जे का सेवारत्त या सेवानिवृत अधिकारी होगा।

मुख्य आयुक्त पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये या जब तक वह 65 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता है, जो भी पहले हो, तक पद धारण करेगा। तथा वह पुर्ननियुक्ति के लिये हकदार नहीं होगा। मुख्य आयुक्त को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें वह होंगी जो हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 15 और धारा 15 की उपधारा 4 (संशोधित), 28 जून, 2019 में मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के लिए अधिकथित हैं।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के लिए, योग्य उम्मीदवार की खोज और उसकी सिफारिश, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 के अधीन गठित वैधानिक समिति, को करने के लिए सरकार द्वारा एक खोज समिति का गठन किया गया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी मुख्य आयुक्त के पद के लिए आवेदन करते समय दर्शायेंगे कि:

1. क्या उसके विरूद्ध कोई अपराधिक मामला पंजीकृत है ?
   यदि हॉ, उसका ब्यौरा।
2. क्या आवेदक किसी अपराधिक अपराध के लिए चार्जशीट किया गया है ?
   यदि हॉ, उसका ब्यौरा।
3. क्या आवेदक को किसी अपराधिक अपराध के लिए किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया है ?
   यदि हॉ, उसका ब्यौरा।

मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए इच्छुक एवं नियुक्ति के लिए मानदण्डों को पूरा करने वाला व्यक्ति इन हिदायतों के साथ संलग्न प्रोफार्मा में अपना विवरण, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, कमरा न० 44 बी, छठी मंज़िल, हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़ को दिनांक 01 जुलाई 2026 (05:00 सांय) तक भेज सकते हैं। जो व्यक्ति राज्य/केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अधीन सेवारत्त है, वह अपना ब्यौरा उचित माध्यम से भिजवायेगा।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त के पद के लिए प्रोफार्मा

नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें

1. नामः
2. जन्म तिथिः
3. वर्तमान पताः
4. सम्पर्क न०:
   क) दूरभाष (एस०टी०डी० कोड सहित)
   ख) मोबाईलः
   ग) फैक्सः
5. ई–मेल पताः
6. शैक्षणिक योग्यताः
7. प्रतिष्ठा का क्षेत्रः
8. वर्तमान व्यवसायः
9. आपके खिलाफ कोई अपराधिक मामला दर्ज है ?
10. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए चार्जशीट किये गये हैं ?
    यदि हॉ, तो उसका विवरण।
11. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराये गये है ? यदि हॉ, तो उसका विवरण।
12. उपलब्धियां / काम करने का अनुभवः
    (संक्षेप में)

दिनांकः हस्ताक्षर

स्थानः